कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 448 /11–सी–FP/UP/Road/118819/2021, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 04 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा आर0एस0 रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज सं0–0.00 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/786, दिनांक–31.03.2022, इस कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या–2795/11–सी–FP/UP/Road/118819/2021, दिनांक–01.04.2022 आपका पत्रांक–321/मी0क्षे0/33, दिनांक 28.07.2022

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31.03.2022 के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 28.07.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें परीक्षणोपरान्त निम्न कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–1 के निराकरण के क्रम में संशोधित प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल की सीडी संलग्न नहीं की गयी है।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0–2 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार के निर्देशानुसार पूर्ण निराकरण नहीं किया गया है। अतः भारत सरकार की आपत्ति सं0–2 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त पायी गयी 5.5603 हे0 गैर वनभूमि के समतुल्य अर्थात 5.6 हे0 अवनत वनभूमि का चयन कर उससे सम्बन्धित उपयुक्तता प्रमाण पत्र, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file की सीडी संलग्न करें।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं0–6 का पूर्ण एवं स्पष्ट निराकरण नहीं किया गया है।
4. भारत सरकार की आपत्ति सं0–7 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख से इतर सूचना दी गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संलग्न करें।
5. भारत सरकार की आपत्ति सं0–8 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख से इतर सूचना दी गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संलग्न करें।
6. भारत सरकार की आपत्ति सं0–9 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख से इतर सूचना दी गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संलग्न करें।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण करते हुये भारत सरकार की आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख तीन प्रतियों में अपनी संस्तुति सहित तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 448 /11–सी–FP/UP/Road/118819/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-928